



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694-97

क्रमांक: एफ III (543)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ 758

दिनांक 30.06.2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के रिक्त पदों पर दिनांक 16-10-2016 को आयोजित सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2016 के संशोधित परिणाम दिनांक 30-06-2017 में पूर्णतया अस्थाई (Purely Provisional) रूप से चयनित घोषित अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच मूल दस्तावेजों से की जानी है।

अतः कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता सीधी भर्ती परीक्षा-2016 में पूर्णतया अस्थाई (Purely Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु दिनांक 17-07-2017 को प्रातः 10-00 बजे से कॉन्फ्रेस हॉल, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर पर आवश्यक रूप से आवेदित आवेदन की हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में (हार्ड कापी में नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाकर) एवं समस्त मूल दस्तावेजों के साथ (दस्तावेजों की छाया प्रतियों सहित) उपस्थित होंगे।

कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता

1211	2790	1545	1546	1499	2604	1861
1254	1899	2794 (F)	2990(F)	2532	2234(FW)	2071
1586	1103	3164(PH)	1955(F)	2579	2569(F)	2833
2553(F)	1767	1093	1051	1814 अस्थाई (temporary)		

नोट:—विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) रोल नम्बर 1814 कट ऑफ 129 के अभ्यर्थी का चयन पूर्णतः अस्थाई (temporary) रहेगा एवं स्थाईकरण (confirmation) का अधिकारी नहीं रहेगा साथ ही इनकी नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 1464-12466/2017 के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

पात्रता जाँच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे:-

- मण्डल की वेबसाइट <http://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर "कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के पद के लिए जारी विज्ञापित विज्ञापन संख्या प0/01-2016/1134 दिनांक 14-07-2016 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।
- ऑन लाईन आवेदन में दर्शाये गये समस्त मूल दस्तावेज एवं छाया प्रतियां संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार लाना सुनिश्चित करें।
- आवेदक को स्वयं के 2 नवीनतम फोटो (पासपोर्ट साईज) लाना आवश्यक है।
- शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, आचरण, विशेष योग्यजन, विवाह, सेवारत होने सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आदि समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ लावें।
- प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रामाणित प्रति।
- राजस्थान राज्य में संस्थाई सेवारत हैं तो उसका प्रमाण एवं नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है।
- आयु में ली गई छूट सम्बन्धी प्रमाण।

संलग्न:-चैक लिस्ट

(कै. सी. ए. अरुण प्रसाद)
सदस्य सचिव